इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 530] भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 28, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

क्र. डी-15-76-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 37 के अतंर्गत ''क्रय तथा विक्रय की शर्तें'' वर्णित हैं जिसकी उपधारा (2) (क) के अनुसार ''मंडी प्रांगण में क्रय गई कृषि उपज कीमत का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मंडी प्रांगण में किया जायेगा'' प्रावधानित है.

(2) समय-समय पर केन्द्र शासन के द्वारा नगद भुगतान के संदर्भ में निर्देश /नियम बनाये जाते हैं जिनके परिप्रेक्ष्य में मंडी प्रांगण में विक्रय की गयी कृषि उपज के भुगतान के संदर्भ में भी स्पष्टीकरण जारी किया जाना आवश्यक हो गया है.

(3) पूर्व में भुगतान करने के दो ही विकल्प प्रचलन में थे (1) नगद (2) चैक के माध्यम से, परन्तु वर्तमान में हुए तकनीकी उन्नयन के कारण अनेकों विकल्प उपलब्ध हैं जिन्हें राज्य शासन, केन्द्र शासन और आमजन के द्वारा स्वीकार किया गया है तथा अपनाया गया है. उदाहरण के लिए आर.टी.जी.एस. (RTGS), एन.ई.एफ.टी (NEFT), बैंकर्स चैक, आदि.

(4) उपरोक्त वर्णित स्थिति पर शासन स्तर पर समग्र विचार किये जाने के उपरान्त यह विनिश्चय किया गया है कि म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम् 1972 की धारा 40-क (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाये:—

4 (1) मंडी प्रांगण में क्रय की गयी कृषि उपज कीमत का भुगतान विक्रेता को उसी दिन प्रांगण में किया जायेगा और नगद, आर.टी.जी.एस. (RTGS), एन.ई.एफ.टी. (NEFT), बैंकर्स चैक या अकाउन्ट पेयी चैक द्वारा किया गया भुगतान मान्य प्रक्रिया होगी.

4 (2) कृषि उपज विक्रेता को नगद भुगतान, केन्द्र शासन / आयकर विभाग / भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अध्याधीन होगा.

4 (3) मंडी अधिनियम की धारा 19 (6) के अनुसार मंडी प्रांगण, उप मंडी प्रांगण, क्रय केन्द्र से अधिसूचित कृषि जिन्स जिसका कि नियमानुसार विक्रय संपन्न हो चुका है, की निकासी से पूर्व सचिव, कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संदर्भित कृषि उपज का पूर्णतः भुगतान विक्रेता को प्राप्त हो गया है.

4 (4) मंडी अधिनियम की धारा 19 (6) के अंतर्गत चुकाई हुई मंडी फीस उपरांत निर्गमन के लिये जारी किये जाने वाले अनुज्ञापत्र तथा अनुज्ञापत्र के अधार पर मंडी फीस से छूट प्राप्त करते हुए अनुज्ञापत्र पर पुनः अनुज्ञापत्र जारी किए जाने के पूर्व भी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संदर्भित कृषि उपज का पूर्णतः भुगतान विक्रेता को प्राप्त हो गया है.

4 (5) मंडी अधिनियम की धारा 19 के अनुसार उदग्रहित होने वाली मंडी फीस का भुगतान मंडी समितियों के द्वारा नगद, आर.टी.जी.एस. (RTGS), एन.ई.एफ.टी. (NEFT), बैंकर्स चैक या अकाउन्ट पेयी चैक के मध्यम से ही प्राप्त किया जायेगा एवं नगद भुगतान, केन्द्र शासन / आयकर विभाग/ भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा समय- समय पर निर्धारित सीमा के अध्याधीन होगा.

4 (6) विक्रेता को भुगतान या उदग्रहित मंडी फीस के भुगतान हेतु जारी / प्राप्त अकाउन्ट पेयी चैक को यदि बैंक के द्वारा किन्ही भी कारणों से अमान्य किया जाता है तो चैक जारीकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी.

उपरोक्त निर्देश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.